ग्राम पंचायत नेरी कलाँ ब्लॉक सोलन जिला सोलन के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017

1 **प्रारम्भिक :-**

(**क**) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच-एचसी-(5)सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत , ग्राम पंचायत नेरी कलाँ , ब्लॉक सोलन, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश के अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे-

प्रधान:-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति सीमा देवी	01.04.2014 से 22.01.2016
2	श्री बलवंत सिंह	23.01.2016 से 31.03.2017

सचिव:-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री भीम सिंह	01.04.2014 से 30.10.2014
2	श्रीमति सुनीला शर्मा	31.10.2014 से 31.03.2017

(**ख**) **गम्भीर अनियमितताओं का सार:**

ग्राम पंचायत के अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	गम्भीर अनियमितता का सार	पैरा सं०	राशि (लाखों में)
1	गृह कर के रूप मे पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष होना	7	0.15
2	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना व क्रय की भण्डारण प्रविष्टियां न करना	12	-

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत नेरी कलाँ, जिला सोलन के अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण श्री अनिल कुमार शर्मा , अनुभाग अधिकारी व श्री सोम राज कपूर ,

अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 18.08.17, 19.08.2017 व 21.08.2017 से 22.08.2017 तक पंचायत के कार्यालय मे किया गया लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 12/2014, 03/2016, 12/2016 व 04/2014, 10/2015, 03/2017 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वित्तीय स्थिति का प्रारूपण नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर किया गया है । स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है , की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है । प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की जांच के पश्चात अंकेक्षण के परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत नेरी कलाँ, विकास खण्ड सोलन के अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017 के लेखाओं अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं0 16 दिनांक 19/08/2017 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार अंकेक्षण शुल्क की राशी हि. प्र. जोगिंद्र सेंट्रल को –ओपेराटिव बैंक लिमिटेड सोलन के बैंक ड्राफ्ट संख्या 130765 दिनांक 28.08.2017 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4 वित्तीय स्थिति: –

Financial Position of Grants received under General Cash Book for the year 01-04-2014 to 31-03-2017

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPTS			TOTAL (a)	PAYMENTS (b)			CLOSING BALANCE (a-b)
		Own source	Grant	Intt.		Own source	Grants	total	
2014-15	466558.95	19079	1220468	21665	1727770.95	13789	818960.50	832749.50	895021.45
2015-16	895021.45	50170	1093073	37369	2075633.45	19068.08	739823.69	758891.77	1316741.68
2016-17	1316741.68	5193	1143365	49070	2514369.68	39669.43	1253669.50	1293338.93	1221030.75

Financial position for the year 01-04-2014 to 31-03-2017 in respect of MNREGA

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPTS		TOTAL (a)	PAYMENTS (b)	CLOSING BALANCE (a-b)
		Interest	other			
2014-15	17476.50	1092	164000	182568.50	182325.50	243
2015-16	243	-	284508	284751	284751	0
2016-17	0	-	314064.20	314064.20	314064.20	0

Financial position for the year 01-04-2014 to 31-03-2017 in respect of watershed/iwmp

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPTS	TOTAL (a)	PAYMENTS (b)	CLOSING BALANCE

		Interest	other			(a-b)
2014-15	163527.30	6265.00	-	169792.30	98677.40	71114.90
2015-16	71114.90	2503.00	4000.00	77617.90	30710.98	46906.92
2016-17	46906.92	1404.00	297689.00	345999.92	236820.13	109179.79

Consolidated Financial for the year 01-04-2014 to 31-03-2017

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPTS	TOTAL (a)	PAYMENTS (b)	CLOSING BALANCE (a-b)
2014-15	647562.75	1432569.00	2080131.75	1113752.40	966379.35
2015-16	966379.35	1471623.00	2438002.35	1074353.75	1363648.60
2016-17	1363648.60	1810785.20	3174433.80	1844223.26	1330210.54

i) Balance as per Cash Book ₹ 1330210.54
ii) Balance as per Pass Books ₹1370577.54
iii) Cash in hand ₹286.50
iv) Total of (ii) and (iii) above ₹1370864.04
v) Difference ₹40653.50

Detail of Bank Balances

Sr. No.	Title of cash book	Bank name	Bank account no.	Opening as on 01.04.2014	Closing balance 31.03.2017
1	General Cash Book	JCCB solan	101834022000086	63949	0
		JCCB solan	101834001000392	1821	1857
		JCCB solan	101834001007715	310517	1190416.81
		JCCB solan	101834001004500	44727	18597
		PNB bhojnagar	2441000100016034	44970	50526.94
2	Cash in hand			574.95	286.50
	Total			466558.95	1261684.25
3	MNREGA	-	-	17476.50	0
4	IWMP/ watershed	PNB Bhojnagar	2441000100034483	163527.30	109179.79
	Grand Total			647562.75	1370846.04

Deatil of Difference (Bank Reconciliation statement as on 31.03.2017)

Cheques issued but not presented for payment

Sr.No.	Cheque no.	Account no.	amount	
1	985634	101834001007715	12000	
2	985642	101834001007715	4000	
3	985638	101834001007715	6900	
4	985640	101834001007715	6900	
5	985641	101834001007715	5100	
6	985643	101834001007715	4800	39700
Interest credited by bank but not taken in cash book				
1	-	2441000100016034	494	
2	-	2441000100016034	494	+988
Bank charges debited by bank but not taken in cash book				
1	-	2441000100016034	17.25	
2	-	2441000100016034	17.25	-34.50
		Difference		40653.50

(i) रोकड़ वही का रख–रखाव उचित प्रकार से न करना :-

इस रोकड़ वही में पंचायत निधि का रख–रखाव, पंचायत के अपने स्त्रौतों से प्राप्त आय, पंचायत के विकास कार्यों पर व्यय , पंचायत चौकीदार के वेतन एवं पंचायत के जन प्रतिनिधियों के पारिश्रमिक आदि का लेखा–जोखा रखा जाता है। जांच में पाया कि रोकड़ वही का रख रखाव पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 7 में वर्णित निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था। अंकेक्षण अवधि के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 139,163, 166, 169, 195, 199, 204 खाली रखे गए थे तथा पृष्ठ संख्या 135 , 167,190, 191 पर काफी काट छाँट की गई थी। जिसका कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। उक्त अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाये व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता को न दोहराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5 ₹100 कम जमा करना :

जांच में पाया गया कि दिनांक 23-03-2016 को रसीद संख्या 216701 से 216773 के अंतर्गत ₹6350/- (50X46=2300+150X27=4050) रूपये की राशि गृह कर के रूप में प्राप्त की परंतु रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 176 पर मात्र ₹6250 आय के रूप में दर्ज की गई। इस प्रकार ₹100/- (6350 – 6250) पंचायत खाते में कम जमा करायी गई जिसे सम्बंधित खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कराया जाये।

6 वर्गीकृत सार को तैयार न करनाः

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए, एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में मुश्किल आई साथ ही आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

7 **गृह् कर के रूप मे पंचायत राजस्व का ₹0.15 लाख वसूली हेतु शेष होना :**

आय की जाच के दौरान और पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध कारवाई गई सूचना के अनुसार निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.17 तक पंचायत के राजस्व की गृह कर के रूप मे ₹15350 की वसूली शेष थी।

वर्ष	परिवार	गृह कर की दर	राशि	देय राशि	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
04/2014 से पहले						11400
2014-15	265	25	6625	18025	950	17075
2015-16	276	50	13800	30875	28775	2100
2016-17	276	50	13800	15900	550	15350

अतः उक्त राजस्व की वसूली करने हेतु उचित कदम उठाए जाएँ तथा वसूली के उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8 **निवेश के सन्दर्भ में टिप्पणियांः**

8.1 नियमानुसार निवेश न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Funds) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस

चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 निवेश रजिस्टर का निर्माण करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप–1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार इस रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए।

9. बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

10 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इसके अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था तथा नियम 94(2) के अनुसार पच्चीस हजार से कम लागत वाले संकर्म के लिये सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा लागत प्राक्कलन दिया जाना अपेक्षित है। निर्माण कार्यों से संबंधित व्यय वाउचरों की अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख से जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"क"** में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

11 माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भते) नियम, 2002 के नियम 101 के अनुसार विभिन्न संकर्मों के निष्पादन का ब्यौरा माप

पुस्तिका मे निर्धारित रीति के अनुसार रखा जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 में विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत निष्पादित संकर्मों की माप पुस्तिकाऐं प्रस्तुत नहीं की गईं जिसके कारण **परिशिष्ट –क"** में दर्शाई गईं कुल ₹5.64 लाख के भुगतान की विभिन्न राशियों की मद वार वास्तविक निष्पादित मात्रा व मूल्यांकित राशि से जांच सम्भव नहीं हो पाई और न ही विभिन्न संकर्मों में उपयोग किये गये सामान का विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया परिणामस्वरूप संकर्म वार क्रय /जारी सामान की मात्रा की वास्तव में उपयोग अथवा शेष मात्रा से तुल्नात्मक जांच सुनिश्चित नहीं की जा सकी। अत: उपरोक्त के सम्बंध मे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

12 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹3.53 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना व ₹4.55 लाख के क्रय की भण्डारण प्रविष्टियां न करना :

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–"ख"** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹352886 के स्टॉक/स्टोर का क्रय बिना औपचारिकताओं को पूर्ण अर्थात निविदाएं आमन्त्रित किए बिना ही किया गया और न ही ₹455052 के क्रय किये सामान की नियम 69 के अंतर्गत भंडारण प्रविष्टियां सुनिश्चित की गईं जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय व रख –रखाव नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव न किया जानाः

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 77(4) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को फॉर्म 10 में पंचायत की वर्ष के दौरान संभावित समस्त आय के लिए मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव करना होगा। परन्तु ग्राम पंचायत में इस प्रावधान की अवहेलना करते हुए इस रजिस्टर को आरम्भ ही नहीं किया गया है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार मांग व प्राप्ति रजिस्टर का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

14 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करनाः

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नही किया गया था या उचित तरीके से नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र॰	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम

1	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
2	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	——	103
3	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	15(1)
4	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
6	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर नियमानुसार उचित तरीके से सन्धारित नहीं हैं।	25 व 26	72(1)(a & b)
7	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 मनरेगाः—

15.1 नियमों की अनुपालना न कर के musterroll का भुगतान करने बारे (MNREGA)– :

चयनित माह के वाउचरों की जांच में पाया कि निम्नलिखित भुगतानों में पंचायत के कर्मचारियों द्वारा पंचायती राज विभाग द्वारा निर्धारित निम्नलिखित नियमों की अनुपालना नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप पंचायत निधि को क्षति पहुंचाई गई थी:

1. पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ग्राम पंचायत प्रधान और पंचायत के सचिव द्वारा शब्दों एवं अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए सयुंक्ततः हस्ताक्षरित नहीं करता है।
2. पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या और तारीख होना अनिवार्य है जबकि जांच में पाया कि कोई भी वाउचर प्रस्ताव द्वारा समर्थित नहीं था।

अंकेक्षण अवधि में चयनित माह मैं किए गए भुगतान जिनमें उक्त नियमों का पालन नहीं किया गया था, का विवरण निम्नलिखित है :

क्र० सं	दिनांक	बिल का विवरण	कार्य का विवरण	राशि	कमियों का विवरण
1	09.03.2017	Muster roll no. 1695 payment date 09.03.2017	129 mandays @ 170	21930.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी। 3. आहरण अवम वितरण अधिकारी के भुगतान आदेश नहीं लगाए गए थे
2	25.03.2017	Muster roll no. 1910 payment date	115 mandays @ 170	19550.00	1 निर्माण कमेटी के

		25.03.2017			हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी। 3. आहरण अवम वितरण अधिकारी के भुगतान आदेश नहीं लगाए गए थे
3	25.03.2017	Muster roll no. 1912 payment date 25.03.2017	130 mandays @ 170	22100.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी। 3. आहरण अवम वितरण अधिकारी के भुगतान आदेश नहीं लगाए गए थे
4	25.03.2017	Muster roll no. 1913 payment date 25.03.2017	56 mandays @ 170	9520.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी। 3. आहरण अवम वितरण अधिकारी के भुगतान आदेश नहीं लगाए गए थे
5	30.03.2017	Muster roll no. 2170 payment date 30.03.2017	54 mandays @ 170	9180.00	1 निर्माण कमेटी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी। 3. आहरण अवम वितरण अधिकारी के भुगतान आदेश नहीं लगाए गए थे

उक्त भुगतान में निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने से पंचायत (MNREGA) निधि का अनियमित भुगतान किया गया है । इन नियमों का पालन ना करने से हुये अनियमित भुगतान को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

15.2 मसटररोलो पर किए गए कार्य को कार्य कमेटी द्वारा सत्यापित न किया जाना(MNREGA)

चयनित माह के वाऊचरों की जांच में पाया कि muster rolls पर किए गए कार्यों को कार्य कमेटी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है। जिसका औचित्य सपष्ट करें तथा भविष्य मैं इसे सत्यापित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15.3 वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु रोकड़ बही का निर्माण ना करना (MNREGA)

अंकेक्षण के दौरान जांच मैं पाया गया की वर्ष 2015-16 हेतु MNREGA निधि की रोकड़ बही का निर्माण ही नहीं किया गया था। जो कि एक गंभीर अनियमितता है। जिसका औचित्य सपष्ट किया जाये अथवा रोकड़ बही का निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

16 IWMP (Watershed): नियमों की अनुपालना न कर के क्रय करने बारे) IWMP/Water Shed):

इस रोकड़ वही में IWMP निधि के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यों की निधि का रख – रखाव एवं पंचायत के विकास कार्यों पर व्यय का लेखा–जोखा रखा जाता है।

चयनित माह के वाऊचरों की जांच में पाया कि निम्नलिखित क्रय में पंचायत के कर्मचारियों द्वारा पंचायती राज विभाग द्वारा निर्धारित निम्नलिखित नियमों की अनुपालना नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप पंचायत निधि को क्षति पहुंचाई गई थी:

1. पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 67 (5) (ख) के अनुसार ₹1000 से अधिक एवं ₹50000 से कम के क्रय के लिए कम से कम तीन फ़र्मों से निविदायें आमंत्रित करना अनिवार्य है।

2. पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार क्रय की गई सामग्री को तुरंत भण्डार रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाना अनिवार्य है।

3. पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ग्राम पंचायत प्रधान और पंचायत के सचिव द्वारा शब्दों एवं अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए सयुंक्ततः हस्ताक्षरित नहीं करता है।

4. पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 50 (1) के अनुसार भुगतान करते समय भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति से रसीद लेना अनिवार्य है।

5. पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या और तारीख होना अनिवार्य है जबकि जांच में पाया कि कोई भी वाउचर प्रस्ताव द्वारा समर्थित नहीं था।

अंकेक्षण अवधि में चयनित माह में किए गए क्रय जिनमें उक्त नियमों का पालन नहीं किया गया था, का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र॰सं	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या व दिनांक	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि	कमियों का विवरण
1	22 दिनांक 05.10.15	Bill No.005 Dated 01.07.15 M/s Anita Road Line, Seri.	300cft sand @55	16500.00	1. निविदायें आमंत्रित नहीं की गई थी। 2. सामग्री की भण्डार/संपत्ति रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी।

					3. माप पुस्तिका अंकेक्षण मे प्रस्तुत नहीं की गई। 3. वौचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।
2	22 दिनांक 05.10.15	Hand Receipt, Sh. HeeraSingh	275cft stone @ 20	5500.00	1. निविदायें आमंत्रित नहीं की गई थी । 2. सामग्री की भण्डार/संपत्ति रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी । 3. माप पुस्तिका अंकेक्षण मे प्रस्तुत नहीं की गई। 3. वौचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गई थी।

उक्त क्रय में निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने से पंचायत निधि का अनियमित भुगतान किया गया तथा सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं करने से सामग्री के दुरुपयोग की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है । अतः उक्त समस्त सामग्री का भौतिक सत्यापन करने के उपरांत भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करना सुनिश्चित करें एवं यदि किसी प्रकार की भण्डार में कमी पाई जाती है तो इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना भी सुनिश्चित करें । इसके अतिरिक्त अन्य नियमों का पालन न करने से अनियमित भुगतान को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

17 **लघु आपति विवरणिका :–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(4)34/2017 खण्ड–1–527..–530 दिनांक17.01.2018
शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0
3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत नेरी कलां, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881